संख्या:3/2022/010/35-4-2022

प्रेषक,

ऋषिकेश दुबे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कन्नौज।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 03 जनवरी, 2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में जनपद- कन्नौज के विधान सभा क्षेत्र छिबरामऊ में राजकीय पॉलीटेक्निक, तालग्राम देहात, छिबरामऊ, कन्नौज के भवन निर्माण कार्य की त्वरित आर्थिक विकास योजना से शासनादेश संख्या-16/2020/255/35-4-2020, दिनांक 17 फरवरी, 2020 द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए निर्माण कार्य की अनुमोदित लागत रू. 1824.90 लाख (+ जी0एस0टी0 नियमानुसार देय) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू. 200.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। तत्पश्चात शासनादेश संख्या-09/2021/46/35-4-2021, दिनांक 20 जनवरी, 2021 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू. 273.73 लाख तथा शासनादेश संख्या-87/2021/1034/35-4-2021 दिनांक 24 जून, 2021 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू. 894.94 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। इस प्रकार प्रश्नगत कार्य हेतु अभी तक कुल रू. 1368.67 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। जनपद द्वारा पत्र संख्या- 377/कार्य-04/रा0पॉली0 छिबरामऊ/22, दिनांक 22 दिसम्बर, 2021 द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु उक्त शासनादेशों से पूर्व में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 75 प्रतिशत धनराशि का उपभोग होने के साथ ही जी0एस0टी0 की नियमानुसार देय धनराशि रू. 190.89 लाख होना इंगित किया गया है। एतदद्वारा उपर्युक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत कार्य की अनुमोदित कुल लागत रू. 2015.79 लाख (1824.90+190.89=2915.79 लाख) के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि रू. 1368.67 लाख को समायोजित करते हुए चतुर्थ किश्त के रूप में अनुमन्य धनराशि रू. 546.33 लाख (रूपये पांच करोड़ छियालिस लाख तैतीस हजार मात्र) को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(लाख रू. में)

कार्य	अनुमोदित लागत	जी0एस0टी0 की धनराशि	कुल लागत	पूर्व में अवमुक्त	चतुर्थ किश्त के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि
राजकीय पॉलीटेक्निक, तालग्राम देहात, छिबरामऊ, कन्नौज के भवन निर्माण कार्य	1824.90+ जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय)	190.89	2015.79	1368.67	546.33

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 17 फरवरी, 2020, दिनांक 20 जनवरी, 2021 एवं 24 जून,2021 की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि में से दो माह की आवश्यकता के अनुसार अपेक्षित धनराशि एक सप्ताह के अन्दर नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।

5- इस शासनादेश से उक्त कार्य के लिए अनुमोदित लागत के सापेक्ष 25 प्रतिशत धनराशि का आवंटन किया गया है। कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2022 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2022 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

7- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2022 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

8- कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा सम्परीक्षित लेखे अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायेंगे।

2- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्ष-4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-104-बहुशिल्प-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0302-राजकीय पॉलीटेक्निक भवन निर्माण के चालू कार्य-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ऋषिकेश दुबे)
विशेष सचिव।

संख्या:3/2021/010(1)/35-4-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,प्राविधिक शिक्षा विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7- मण्डलायुक्त, कानपुर।
8- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, कानपुर, उत्तर प्रदेश।
9- प्रबन्ध निदेशक, सी0एण्ड0डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, टी0सी0-38 बी, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
10- मुख्य विकास अधिकारी, कन्नौज।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कन्नौज।
12- गार्ड फाईल।
13- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5।
14- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कन्नौज।
15- परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-43, सी0एण्ड0डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, फर्रूखाबाद।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दुबे)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in